कार्यालय,आयोजना क्षेत्र प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

Website : https://mymmc.org., E-mail ID-mmc-muz-bih@nic.in, muzaffarpur.ulb@gmail.com, Control Room - 0621-2212647

पत्रांक– 143 दिनांक 28-08 / 2024

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र प्राधिकार,
–सह–
नगर आयुक्त
मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर।

सेवा में,

Land Owner– श्री ओमप्रकाश पिता–स्व0 नरेन्द्र कुमार सिंह वो श्री वर्धन पिता– श्री ओमप्रकाश
ग्राम + मुहल्लाः– खबड़ा
पोस्ट– खबड़ा, थानाः– सदर
मुजफ्फरपुर।

Builder-M/s Maa Bhawani Infra And Developers
निदेशक–श्री शैलैश कुमार पिता–श्री ओम प्रकाश सिन्हा
पता– फ्लैट नं0–302 दुर्गा अपार्टमेन्ट नजदीक राजधानी अपार्टमेन्ट पोस्ट–केशरी नगर महेश नगर,
जिला–पटना।

विषय :– **प्लान केश संख्या–142/2024 B+G+7 आवासीय एवं व्यवसायिक भवन निर्माण का नक्शा की स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा प्रस्तुत भवन निर्माण नक्शा, ग्राम +मुहल्ला– खबड़ा जिला–मुजफ्फरपुर, अंचल–मुशहरी थाना नं0–334 खाता सं0– 40 खेसरा सं0–936,937,1681 भवन का प्रकार–B+G+7 आवासीय एवं व्यवसायिक रकवा 52.94 डी0 (2142.42 Sqm) निर्मित क्षेत्र (Total Builtup Area) 7027.94 sqm बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007, बिहार भवन उपविधि 2014 के 315, 316, 317, 414 एवं 419 के अंतर्गत निम्न शर्त्तों पर स्वीकृति दी जाती है :–

1. बिहार भवन उपविधि 2014 के अनुसार प्रस्तावित भवन के चारों तरफ सेटबैक छोड़ा जाएगा।
2. भवन निर्माण के समय जल निकासी के प्रावधान नक्शा के अनुसार किया जाना है एवं बिहार भवन उपविधि 2014 के नियमानुसार नगर निगम के नाले से भवन मालिक को ही अपने नाला को जोड़ना होगा।
3. भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जलापूर्त्ति, सेप्टिक टैंक एवं भविष्य में सिवरेज सिस्टम बिल्डिंग बायलॉज के तहत किया जाएगा।
4. निगम में समर्पित भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र नक्शा आदि में त्रुटि एवं गड़बड़ी की जवाबदेही स्वयं आवेदक का होगा।
5. जिन अभियंता द्वारा नक्शा बनाया गया है, भवन निर्माण के दौरान उसके सुपरविजन में कार्य कराया जाएगा के समय–समय पर निगम को प्रतिवेदन देना होगा एवं भवन निर्माण पूर्ण होने पर निगम को सूचना देंगे तथा उनका प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
6. भवन के सामने सरकारी सड़क एवं नाला का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। भवन निर्माण उपरान्त कम्पलीशन प्रमाण पत्र अभियंता के माध्यम से देना होगा।
7. भवन स्वामी को भवन उपविधि के अनुसार भवन के अन्दर की पार्किंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

8. स्वीकृत नक्शे का एक प्रति कार्य स्थल पर चिपकाना सुनिश्चित करेंगे ताकि समय–समय उप उसका जांच किया जा सके।
9. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व निगम को सूचित करना सुनिश्चित करेंगे।
10. लेबर सेस कि कुल राशि–1495328.00 रू0 है। जिसमें नगर विकास विभाग के पत्रांक–06/न0वि0 विविध (लेबर सेस)–20/2023, 5478 नं0वि0 एवं आ0वि0 पटना दिनांक–25.09.2023 के आलोक में कुल राशि का 1/5th 299066.00 रू0 वर्तमान में जमा किया गया है। निदेश दिया जाता है कि लेबर सेस कि शेष राशि नियमानुसार ससमय जमा करना सुनिश्चित करेगे।

इस शर्त्त पर नक्शा स्वीकृत किया जाता है, यह स्वीकृति अगले पाँच वर्ष के लिये वैद्य होगा। किसी प्रकार के उल्लंघन/शिकायत होने पर स्वीकृत नक्शा रद्द कर दिया जाएगा एवं सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र प्राधिकार,
–सह–
नगर आयुक्त
मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर।